20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

निगरानी/ग्वालियर/भू.रा/2018/0847

श्यामादित्य रश्मि ट्रस्ट बिरला नगरग्वालियर म.प्र., द्वारा संतोष कुमार सिंह पुत्र श्री लोचन सिंह सचिव --आवेदक

बनाम

1. मध्य प्रदेश राज्य
2. बी.आई.एम.आर.हॉस्पीटल, गवालियर (म.प्र.)

--अनावेदकगण

श्री विनोद भार्गव द्वारा आज दि. 1-2-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 2/18

न्यायालय माननीय अनुविभागीय अधिकारी, मुरार जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 57/2016-17/अपील में पारित आदेश दिनांक 19.12.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 01-02-2018

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार हैः-

प्रकरण के संक्षेप तथ्यः

1. यहकि, ग्राम जडेरूआकलां में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 982 एवं 991 कुल रकबा 24.95 एकड़ का दिनांक 02/06/1958 को विशेष पट्टा जे.सी. मिल्स बिरला नगर, ग्वालियर को प्रदान किया गया था।

2. यहकि, उपर्युक्त रकबा 24.95 एकड़ में से 7.99 एकड़ भूमि की जे. सी. मिल्स द्वारा राज्य शासन को समर्पण किया गया था। इस उपर्युक्त सर्वे नंबरान 982, 991 में से रकबा 7.99 एकड़ का दिनांक 09/10/1980 को राज्य शासन द्वारा बिरला नगर जनसेवा ट्रस्ट को 30 वर्ष की अवधि का पट्टा प्रदान किया गया था। तत्पश्चात् पट्टे का नवीनीकरण बिरला नगर जनसेवा ट्रस्ट के नाम से क्रमांक 982/2 रकबा 0.209 हे. एवं 991/3 रकबा 3.120 हे. हो चुका है।

शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर 1/2/18

3. यहकि, सन् 1984 में श्रीमती सरला बिरला द्वारा श्यामादित्य रश्मि ट्रस्ट बनाया गया था और यह ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट होने से जे.सी. मिल्स ने श्यामादित्य रश्मि ट्रस्ट को यह भूमि सूर्य मंदिर निर्माण करने, पार्क

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/ग्वालियर/भू.रा./2018/0847

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-4-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	